



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026

पौष 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या जी०आई०-94/तीन-2025-12(12)-2018 टी०सी०-1

लखनऊ, 9 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प०आ०-3

जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 37, सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची-1, अनुसूची-2, अनुसूची-3 एवं अनुसूची-4 के स्तम्भ (3) में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सम्मुख दर्शाए गए पदनाम वाले जनगणना अधिकारियों के रूप में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर भारत की जनगणना 2027 करने या उसमें सहायता देने या उसका पर्यवेक्षण करने के लिये नियुक्त करते हैं—

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	मण्डल	समस्त मण्डलायुक्त	मण्डल जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित मण्डल	
2	जिला	समस्त जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	
3	जिला	समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व)	जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
4	जिला	समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी	अपर जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	
5	जिला	समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)	अपर जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	
6	जिला	समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	अपर जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	
7	जिला	समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी	अपर जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित जिले	
8	तहसील/स्थानीय नगर निकाय	समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट	उप जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित तहसील/क्षेत्र	
9	तहसील	समस्त तहसीलदार	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित तहसील (स्थानीय नगर निकाय/ औद्योगिक नगर/ छावनी बोर्ड को छोड़कर)	
10	तहसील/स्थानीय नगर निकाय	समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी	अपर भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित क्षेत्र/ तहसील/ विकास खण्ड/ स्थानीय नगर निकाय	
11	तहसील	राजस्व निरीक्षक (प्रत्येक तहसील से कोई एक)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनसे सम्बन्धित तहसील	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा

अनुसूची-2

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
ऐसे नगर निगम जो जोन में विभक्त नहीं हैं, के लिए क्रम सं० 1, 2, 3 एवं 4 लागू होंगे					
1	नगर निगम (जोन में विभक्त नहीं है)	समस्त नगर आयुक्त	अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम	

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
2	नगर निगम (जोन में विभक्त नहीं है)	अपर नगर आयुक्त (प्रत्येक नगर निगम से केवल एक)	नगर जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
3		उप नगर आयुक्त / सहायक नगर आयुक्त (प्रत्येक नगर निगम से केवल एक)	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम	
4		कर अधीक्षक / कर निरीक्षक / सफाई निरीक्षक (प्रत्येक नगर निगम से केवल 2)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	नगर निगमों के भीतर आवंटित क्षेत्र	
ऐसे नगर निगम जो जोन में विभक्त हैं, के लिए क्रम सं० 5, 6, 7 एवं 8 लागू होंगे					
5	नगर निगम (जोन में विभक्त है)	समस्त नगर आयुक्त	अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
6		अपर नगर आयुक्त (प्रत्येक नगर निगम से केवल एक)	नगर जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित नगर निगम	
7	जोन	जोनल अधिकारी	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	नगर निगमों के भीतर उनके सम्बन्धित जोन / क्षेत्र	
8	जोन	कर अधीक्षक / कर निरीक्षक / सफाई निरीक्षक (प्रत्येक जोन से केवल एक)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	नगर निगमों के भीतर उनके सम्बन्धित जोन / क्षेत्र	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
स्थानीय नगर निकाय: नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत और छावनी परिषद के लिए क्रम सं० 9, 10, 11 एवं 12 लागू होंगे					
9	स्थानीय नगर निकाय	समस्त नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित स्थानीय नगर निकाय	

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
10	नगर पालिका परिषद	कर अधीक्षक / सफाई निरीक्षक / कर निरीक्षक (प्रत्येक नगर पालिका परिषद से कोई एक)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	नगर पालिका परिषद के सम्बन्धित क्षेत्र	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
11	छावनी परिषद	समस्त छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित छावनी परिषद	
12	छावनी परिषद	कर अधीक्षक / सफाई निरीक्षक / कर निरीक्षक (प्रत्येक छावनी परिषद से कोई एक)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित छावनी परिषद	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा

अनुसूची-3

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	नोएडा@ / ग्रेटर नोएडा@ / ईडा (YEIDA)*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी [नोएडा / ग्रेटर नोएडा / ईडा (YEIDA)]	अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित प्राधिकरण	
2	नोएडा@ / ग्रेटर नोएडा@ / ईडा (YEIDA)*	नोएडा / ग्रेटर नोएडा / ईडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रत्येक प्राधिकरण से कोई एक)	नगर जनगणना अधिकारी	उनके सम्बन्धित प्राधिकरण	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
3	नोएडा@ / ग्रेटर नोएडा@ / ईडा (YEIDA)*	विशेष कार्याधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / डिप्टी कलेक्टर (प्रत्येक प्राधिकरण से कोई एक)	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित प्राधिकरण	
4	नोएडा@ / ग्रेटर नोएडा@ / ईडा (YEIDA)*	नोएडा / ग्रेटर नोएडा / ईडा के तहसीलदार / अन्य अधिकारी (प्रत्येक प्राधिकरण से कोई 2)	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	सम्बन्धित प्राधिकरण के भीतर अवर्तित क्षेत्र	
@ नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण), # ग्रेटर नोएडा (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) *ईडा / YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)					

अनुसूची-4

क्र० सं०	स्तर	अधिकारी	जनगणना पदनाम	अधिकारिता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	औद्योगिक नगरी (आईटीएस) बनारस रेल इंजन कारखाना (आईटीएस), वाराणसी/रेलवे सेटलमेन्ट, पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली/रेलवे सेटलमेन्ट झांसी, झांसी	भारतीय रेल के सम्बंधित कार्यालय/सम्बंधित मण्डल रेल प्रबन्धक (डीआरएम) कार्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित औद्योगिक नगरी (आईटीएस) के भीतर	आवश्यक आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा
2	औद्योगिक नगरी (आईटीएस) हिन्दालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट/ग्रेसिम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आदित्य बिडला) रेनूकूट	भारतीय रेल के सम्बंधित कार्यालय/सम्बंधित मण्डल रेल प्रबन्धक (डीआरएम) कार्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सहायक भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित औद्योगिक नगरी (आईटीएस) के भीतर	
3	औद्योगिक नगरी (आईटीएस) हिन्दालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट/ग्रेसिम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आदित्य बिडला) रेनूकूट	यूनिट इन चार्ज/यूनिट हेड/ऑफिसर इन चार्ज	भारसाधन (चार्ज) अधिकारी	उनके सम्बन्धित औद्योगिक नगरी (आईटीएस) के भीतर	

2- उक्त अधिनियम के धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, अग्रतर प्रस्तर-1 में निर्दिष्ट अधिकारियों को, उनके अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर जनगणना अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्रत्यायोजित करते हैं और ऐसे व्यक्ति, जब इस प्रकार नियुक्त कर दिए जाएँ, तब, तदनुसार सेवा करने के लिए आबद्ध होंगे।

3- पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उपर्युक्त अनुसूची में नामित अधिकारियों को लिखित रूप में यह घोषणा जारी करने का प्राधिकार देते हैं कि उनके द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप में जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और जनगणना कार्य निदेशक, उत्तर प्रदेश को ऐसी घोषणा जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हैं कि उपर्युक्त अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4- जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार, कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिसम्मत रूप में अपेक्षित कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा या कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिये विधिसम्मत रूप से अपेक्षित कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिये गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, को जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डित किए जाने का भागी होगा/होगी और दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा/होगी।

आज्ञा से,
एस० वी० एस० रंगा राव,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G.I.-94/III-2025-12(12)-2018T.C.-1, dated January 9, 2026 for general Information :

No. G.I.-94/III-2025-12(12)-2018T.C.-1

Dated Lucknow, January 9, 2026

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (Act no.37 of 1948), the Governor is pleased to appoint the Officers mentioned in Column (3) of the Schedule-1, Schedule-2, Schedule-3 and Schedule-4 given below as Census Officers with the designation shown against each in Column (4) thereof, to take, or aid in, or supervise the taking of the Census of India 2027 within their respective jurisdiction mentioned against each in Column (5) of the said Schedule.

SCHEDULE-1

Sl. no.	Level	Officers	Census Designation	Jurisdiction	Remark
1	2	3	4	5	6
1	District	All Divisional Commissioner	Divisional Census Officer	Their Respective Division	
2	District	All District Magistrate	Principal Census Officer	Their Respective Division	
3	District	All Additional District Magistrate (Finance & Revenue)	District Census Officers	Their Respective Division	
4	District	All Basic Education Officer	Additional District Census Officers	Their Respective Division	
5	District	All District Informatics Officer (NIC)	Additional District Census Officers	Their Respective Division	
6	District	All District Economics & Statistics Officer	Additional District Census Officers	Their Respective Division	
7	District	All District Panchayat Raj Officer	Additional District Census Officers	Their Respective Division	
8	Tehsil/ Urban Local Body	All Sub-District Magistrate	Deputy District Census Officer	Their Respective Tehsil/ Area	
9	Tehsil	All Tehsildar	Charge Officer	Their Respective Tehsil (Except Urban Local Body/ Industrial Township/ Cantonment Board)	
10	Tehsil/ Urban Local Body	All Block Education Officer	Additional Charge Officer	Their Respective Area Tehsil/ Development Block/ Urban Local Body	
11	Tehsil	Revenue Inspector (One from each tehsil)	Assistant Charge Officer	Their Respective Tehsil	Necessary orders to be issued by principal Census Officer

SCHEDULE-2

Sl. no.	Level	Officers	Census Designation	Jurisdiction	Remark
1	2	3	4	5	6
For Municipal Corporations not divided into zones, Sl. no. 1,2,3 & 4 shall apply					
1	Municipal Corporation (Not Divided in zone)	All Municipal Commissioner	Additional Principal Census Officer	Their Respective M. Corp.	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
2		Additional Municipal Commissioner (One from each M. Corp.)	City Census Officer	Their Respective M. Corp	
3		Deputy Municipal Commissioner / Assistant Municipal Commissioner (One from each M. Corp.)	Charge Officer	Their Respective M. Corp	
4		Tax Superintendent/Tax Inspector/Sanitary Inspector (Only 02 from each M. Corp.)	Assistant Charge Officer	Allocated area within the Municipal Corporation	
For Municipal Corporations not divided into zones, Sl. no. 5,6,7 & 8 shall apply					
5	Municipal Corporation (Divided in zone)	All Municipal Commissioner	Additional Principal Census Officer	Their Respective Municipal Corporation	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
6		Additional Municipal Commissioner (One from each M. Corp.)	City Census Officer	Their Respective Municipal Corporation	
7		Zonal Officer	Charge Officer	Within their respective zone/area of the Municipal Corporation	
8		Tax Superintendent/Tax Inspector/Sanitary Inspector (Only one from each Zone)	Assistant Charge Officer	Within their respective zone/area of the Municipal Corporation	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
Urban Local Body: Nagar Palika Parishad, Nagar Panchayat and Cantonment Board Sl. no. 9, 10, 11 & 12 shall apply					
9	Urban Local Body	All Executive Officer of Nagar Palika Parishad /Nagar Panchavat	Charge Officer	Their respective Urban Local Body	

Sl. no.	Level	Officers	Census Designation	Jurisdiction	Remark
1	2	3	4	5	6
10	Nagar Palika Parishad	Tax Superintendent/ Sanitary Inspector/Tax Inspector (any one from each Nagar Palika Parishad)	Assistant Charge Officer	Respective area of Nagar Palika Parishad	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
11	Cantonment Board	All Chief Executive Officer of Cantonment Board	Charge Officer	Their respective Cantonment Board	
12	Cantonment Board	Tax Superintendent/ Sanitary Inspector/Tax Inspector (any one from each Cantonment Board)	Assistant Charge Officer	Their respective Cantonment Board	Necessary orders to be issued by principal Census Officer

SCHEDULE-3

Sl. no.	Level	Officers	Census Designation	Jurisdiction	Remark
1	2	3	4	5	6
1	NOIDA [@] / GNIDA [#] / YEIDA [*]	Chief Executive Officer, (NOIDA/GNIDA/ YEIDA)	Additional principal Census Officer	Their respective Authority	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
2	NOIDA [@] / GNIDA [#] / YEIDA [*]	Additional Chief Executive Officer of NOIDA/GNIDA/YEIDA (one from each Authority)	City Census Officer	Their Respective Authority	
3	NOIDA [@] / GNIDA [#] / YEIDA [*]	Officer on Special Duty/Administrative Officer/Deputy Collector (any one from each Authority)	Charge Officer	Their Respective Authority	
4	NOIDA [@] / GNIDA [#] / YEIDA [*]	Tehsildar/Other Officer of NOIDA/GNIDA/YEIDA (any 2 from each Authority)	Assistant Charge Officer	The allotted areas within the Respective Authority	
@ NOIDA (New Okhla Industrial Development Authority), #GNIDA (Greater Noida Industrial Development Authority) * YEIDA (Yamuna Expressway Industrial Development Authority)					

SCHEDULE-4

Sl. no.	Level	Officers	Census Designation	Jurisdiction	Remark
1	2	3	4	5	6
1	Industrial Township(ITS): Banaras Locomotive Works (ITS),	The officer nominated by the concerned office/concerned DRM office of Indian Railways	Charge Officer	Within their respective Industrial Township (ITS)	Necessary orders to be issued by principal Census Officer
2	Varanasi/ Railway Settlement, Pt. Deen Dayal Upadhyay Nagar, Chandauli/ Railway Settlement, Jhansi, Jhansi	The officer nominated by the concerned office/concerned DRM office of Indian Railways	Assistant Charge Officer	Within their respective Industrial Township (ITS)	
3	Industrial Township (ITS): Hindalco Industries Limited, Renukoot/Grasim Industries Limited(Aditya Birla), Renukoot	Unit in Charge/Unit Head/Officer in charge	Charge Officer	Within their respective Industrial Township (ITS)	

2. In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the Governor is further pleased to delegate to the Officers referred to in Paragraph-1 the power of appointing Census-Officers within their respective jurisdictions and such person, when so appointed, shall be bound to serve accordingly.

3. In exercise of the powers under sub- section (3) of the said afore section, the Governor is also pleased to authorize the officers named in above schedule to issue declaration in writing that any person has been duly appointed as Census Officer by him for any Local Area and to authorize the Director of Census Operations, Uttar Pradesh to issue declaration that an officer referred to in above schedule, had been duly appointed as Census Officer by the State Government.

4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act, 1948, any Census-Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of Census who refuses to perform any duty imposed upon him/her under by this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or any Census-Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a Census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, shall be liable to be punished with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

By order,
S.V.S. RANGA RAO,
Pramukh Sachiv.